



भारतीय सर्वेक्षण विभाग SURVEY OF INDIA



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
Office of the Surveyor General of India
हाथीबड़कला एस्टेट, डाक बक्स सं. 37
Hathibarkala Estate, Post Box No. 37
देहरादून - 248 001 (उत्तराखण्ड), भारत
DEHRADUN - 248 001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं.: सी.पी.- 2284/ 707 (अधिकारी सर्वेक्षक) / संग्रह-85 (26736)

दिनांक: 31 अक्टूबर, 2025

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक: पूर्वी क्षेत्र ।

निदेशक/प्रभारी: मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश जी० डी०, छत्तीसगढ़ विंग ।

विषय: अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु स्थानान्तरण / तैनाती (SDPC-2025)।

निम्नलिखित ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) डिवीजन-1 को अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर पे मैट्रिक्स में लेवल 8 में नियमित आधार पर पदोन्नति पर स्थानान्तरण / तैनाती के आदेश तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं:-

Sl. No.	Name of Officer	Present Office	New Place of Posting
1.	Shri Thunderson Kharbyngar	Megh. & Arunachal Pradesh GD, Shillong	Megh. & Arunachal Pradesh GD, Shillong
2.	Shri Chandrahas Thakur	Chhattisgarh Wing, Raipur	AP& T GD (Vishakapatnam Wing)

2. उपरोक्त कर्मिकों की पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथि से प्रभावी होगी । इस पदोन्नति आदेश को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए अर्थात उपरोक्त कर्मिकों को यथासमय कार्यमुक्त करें ताकि संबंधित कर्मिक 01 माह की निर्धारित समय सीमा में अपने नए तैनाती स्थान/स्टेशन पर रिपोर्ट कर दें ।

3. कर्मिकों द्वारा पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने पर उनके प्रमाण-पत्र फार्म O.115 (लेखा) की दो प्रतियां इस कार्यालय को शीघ्र भेजें । जिसमें कार्य ग्रहण करने की तारीख के साथ पूर्वाहन / अपराहन स्पष्ट रूप से दर्शाया हो ।

4. अनुसूचित जाति / जन जाति के कर्मिकों के कास्ट स्टेटस (Caste Status) एवं PwBD Category सम्बन्धी कर्मिकों के प्रमाण-पत्र के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जायें तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जायें कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त कर्मिक अनुसूचित जाति / जन जाति / PwBD Category से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।

5. यदि उपरोक्त कार्मिकों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया सम्बन्धित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किये जायें ।
6. उपरोक्त कार्मिकों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन के लिए FR 22 (I) (a) (1) के अधीन अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा तथा यदि उपरोक्त कार्मिकों को MACP योजना के अन्तर्गत FR 22 (I) (a) (1) का लाभ मिल चुका है तो उनका वेतन नियतन निर्धारित नियमों के अनुरूप करें ।
7. These promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36012/11/2016-Estt. (Res-I) {Pt-II} dated 15-06-2018 and DST's No. SM/02/10/2017 dated 16-05-2019. The select list of the panel will be subject to the outcome of SLP (C) No. 30621/2011 (Jarnail Singh & Others Vs Lachhmi Narain Gupta & Others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court case in connected matter. Further subject to outcome of OA No. 61/519 of 2018 filed by Shri Jasbir Singh Bangari, then Officer Surveyor Vs Union of India & Others.
8. पदोन्नत कार्मिकों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर लें तथा कार्मिकों की Service Book में रिकार्ड हेतु रखें।
9. संबंधित कार्मिकों को पदोन्नति हेतु कार्यमुक्त करते समय गमनागमन आदेश की प्रति इस अनुभाग की ई-मेल (sgo.conf.soi@gov.in) पर अवश्य प्रेषित करें।

संलग्न: यथोपरि ।

(एस0 वी0 सिंह)
अपर महासर्वेक्षक
कृते भारत के महासर्वेक्षक।
E-mail:- sv.singh.soi@gov.in
Phone No:-0135-2740667

प्रतिलिपि:-

1. भारत के महासर्वेक्षक के वरिष्ठ निजी सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर महासर्वेक्षक, दक्षिणी क्षेत्र को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. **निदेशक/प्रभारी:** आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना जी० डी०, हैदराबाद/ विशाखापत्तनम विंग को सूचनार्थ प्रेषित ।
4. लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता/ हैदराबाद ।
5. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-1 / जे0सी0एम0 एवं कार्य अध्ययन एकक / ए0पी0ए0आर0 अनुभाग, महासर्वेक्षक का कार्यालय ।
6. इंचार्ज, वैब एडमिन / इंचार्ज, ई-ऑफिस महासर्वेक्षक का कार्यालय ।

UNDERTAKING

I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of the SLP (C) No. 30621/2011 (Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.

Place:

Date:

Signature:

Name of Officer:

Office:

COUNTERSIGNED BY ADDL SG / DIRECTOR

वचन पत्र

मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं माननीय कोर्ट के वाद SLP (C) No. 30621/2011 (Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter के निर्णय का पालन करूंगा ।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

अधिकारी का नाम:

कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक / निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित